2021/951 (RCMS)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

जोतराम **बनाम** राज0 सरकार

प्रकरण सं0 – 2021/951 (RCMS)

अन्तर्गत धारा– 88 आरटीए

10.11.2021 वादी जोतराम पुत्र दानाराम जाति जाट साकिन 6 आरजेएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम जमाबन्दी में दर्ज चक 6 आरजेएम के मु0 नं0 94/53 के किला नं0 24, 25 की 2–00 बीघा कमाण्ड/अ0क0 भूमि की खातेदारी सनद जारी करने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 6 आरजेएम के मु0 नं0 94/53 के किला नं0 24, 25 की 2–00 बीघा कमाण्ड/अ0क0 रकबा आवंटी जोतराम पुत्र दानाराम जाति जाट साकिन 6 आरजेएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर को स्मालपेच की श्रेणी में आवंटित हुआ था अब मुताबिक जमाबन्दी उक्त रकबा आवंटी के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है उक्त रकबे पर आवंटी की कब्जा काश्त है। उक्त रकबा पर मुताबिक रिकॉर्ड विवाद/स्थगन नहीं है। मुताबिक रिकॉर्ड रकबा वन विभाग, दोहरे आवंटन से प्रभावित नहीं है। उक्त रकबा किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं है। उक्त रकबे पर मौके पर काश्त सम्बंधी विवाद नहीं है। तहसीलदार द्वारा वादी को उक्त रकबा की खातेदारी सनद देने की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। 6–ए, सीलिंग सीमा व वनविभाग से प्रभावित नहीं है। वादी अपने कृषि भूमि की खातेदारी सनद जारी करवाना चाहता है।

वादी के वाद पत्र एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी द्वारा अपनी आवंटित कृषि भूमि की खातेदारी सनद जारी करवाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि वादी के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार उक्त भूमि वादी के कब्जा काश्त में है उक्त भूमि पर कोई स्थगन/विवाद नहीं है। अतः वादी को उक्त आवंटित रकबा का खातेदार करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्धारित प्रपत्र में खातेदारी सनद जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना